(आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 31281/78)

O.I.G.S.

डाक पंजीयन क्रमांक RJ/JPC/205/2021-23

राजस्थान

रोज़गार संदेश

(पाक्षिक)

(राजस्थान सरकार के रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी सूचनाओं का एकमात्र प्रकाशन)

वर्ष 43 अंक 22 Website:http://employment.livelihoods.rajasthan.gov.in 1 जनवरी, 2021 फोन : 2368398 मूल्य : 2.00 वार्षिक शुल्क 40 रु

स्वागत - 2021

राजस्थान रोजगार सन्देश के पाठकों, विज्ञापनदाताओं एवं लेखकों को नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं।

आरएसएलडीसी ने किए 3 बड़े एमओयू

महिलाओं के लिए शुरू होंगे नए प्रशिक्षण कार्यक्रम

राज्य सरकार की महिला रोजगार बढ़ाने की नीति के तहत माननीय मंत्री कौशल, रोजगार व उद्यमिता विभाग श्री अशोक चांदना के प्रयासों से राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की ओर से हाल ही में तीन बड़े समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। ये सभी एमओयू युवाओं एवं महिलाओं को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करने में सहायक सिद्ध होंगे।

सर्वप्रथम आरएसएलडीसी ने महिला अधिकारिता विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू पर आरएसएलडीसी के प्रबंध निदेशक श्री विष्णु चरण मल्लिक एवं महिला अधिकारिता विभाग की आयुक्त श्रीमती रश्मि गुप्ता ने हस्ताक्षर किए। ये एमओयू अध्यक्ष आरएसएलडीसी श्री नीरज के. पवन की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर श्री नीरज के. पवन ने बताया कि इस समझौते का उद्देश्य खासतौर से महिलाओं एवं बालिकाओं पर केन्द्रित कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ करना है। आरएसएलडीसी के प्रयास हैं कि बालिकाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के बाद रोजगार एवं स्वरोजगार हेतु भी उनका सहयोग किया जाए। इस एमओयू के अंतर्गत विशेष रूप से महिलाओं की स्किलिंग की जाएगी।

नीरज के. पवन (शासन सचिव, श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग) विष्णु चरण मल्लिक (प्रबंध निदेशक, आरएसएलडीसी) एवं रश्मि गुप्ता (आयुक्त , महिला अधिकारिता विभाग) के साथ एमओयू की घोषणा करते हुए।

दूसरा एमओयू वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान निसबड एवं आरएसएलडीसी के बीच किया गया। इस एमओयू में श्री नीरज के. पवन एवं श्रीमती नीलम शमी राव, महानिदेशक, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहे। तीसरा एवं अंतिम एमओयू ईएमआई एवं आरएसएलडीसी के केंद्र की संकल्प परियोजना के तहत हुआ। ये एमओयू उद्यमिता विकास कार्यक्रम हेतु किया गया।

विदेशों में भी राजस्थान के युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम ने बुधवार को UAE की प्लेसमेंट कंपनी ITEC (M.E.) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। दुबई की प्लेसमेंट कंपनी के साथ वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से ये एमओयू आरएसएलडीसी के अध्यक्ष नीरज के. पवन की अध्यक्षता में किया गया। इस एमओयू के अंतर्गत मांग के अनुसार लगभग 1000 युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान कर खाड़ी देशों में रोजगार दिलाया जाएगा।

श्री पवन ने अवैध प्रवास एवं अपंजीकृत रिक्रूटिंग एजेंसियों (recruiting agencies) के मुद्दे पर ज़ोर देते हुए कहा कि यह पहल अपने मुख्य लक्ष्य राज्य के कुशल युवाओं को बेहतर "रोजगार दिलाने के साथ-साथ अवैध प्रवास आदि जैसे गतिविधियों को भी हतोत्साहित करेगी। अक्सर फर्जी कंपनियों एवं अपंजीकृत रिक्रूटिंग एजेंसियों के झांसे में रोजगार के बदले लाखों पैसे देकर धोखाधड़ी का शिकार होने वाले प्रवासी श्रमिकों को राजकीय संस्था के माध्यम से अपने क्षेत्र में प्रशिक्षित होकर, प्रस्थान पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त कर सुरक्षित रूप से विदेश जाकर नौकरी करने का मौका मिल रहा है।"

आरएसएलडीसी की ओर से प्रबंध निदेशक श्री विष्णु चरण मल्लिक ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने बताया की "वैध प्रवास की दिशा में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जो कि विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के लक्ष्य "प्रशिक्षित जाएं, सुरक्षित जाएं, विश्वास के साथ जाएं" को सार्थक करता है। राजस्थान शुरू से ही खाड़ी देशों में प्रवासी श्रमिकों को भेजने वाला अग्रणी राज्य रहा है, यह पहली बार होगा कि सरकार की ओर से श्रमिकों एवं कार्मिकों को भेजा जाएगा। राज्य के युवाओं के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर है जिनका उन्हें लाभ उठाना चाहिए।"

मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 पोस्टर का आरएसएलडीसी में हुआ विमोचन

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की ओर से सोमवार को मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 के पोस्टर का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 के माध्यम से महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र–छात्राएँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। एमएमवाईकेवाई 2.0 योजना में ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से सभी सरकारी कॉलेजों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना महामारी की वजह से करीब 10 महीने से कॉलेज बंद हैं और यहां कौशल प्रशिक्षण भी नहीं हो पा रहा था। वहीं एमएमवाईकेवाई 2.0 योजना के जरिए एक बार पुनः कौशल प्रशिक्षण की शुरूआत होगी।

मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 पोस्टर श्री नीरज के. पवन, शासन सचिव, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की अध्यक्षता में विमोचित किया गया। इस पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट से इनोवेशन एंड स्किल डवलपमेंट के नोडल अधिकारी डॉ. विनोद भारद्वाज, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शिवांगी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. ललिता यादव एवं डॉ.विक्रम मीणा उपस्थित रहे। आरएसएलडीसी की ओर से प्रोग्राम मैनेजर श्री राम गुरूंग एवं योजना समन्वयक सुश्री आसमा नाज मौजूद थे।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल

4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूँगरी, जयपुर-302004(राजस्थान)

विज्ञापनसंख्या : प.3(561)/रा.प्र.नि.मं./स्था./सीधी भर्ती/2020/2205 **दिनांक : 21.12.2020**

विज्ञापनसंख्या : 01/2020

-: कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता/कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा - 2020:-

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम, 1993 की अनुसूची–1 तथा यथा समय–समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के 28 एवं कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता के 86 पदों पर सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा, 2020 हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन–पत्र (On Line Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं। मण्डल द्वारा पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है, जिसके लिए अलग से सूचना/शुद्धिपत्र जारी नहीं किया जायेगा। आरक्षित पदों की गणना नियमानुसार की गई है। इसमें मानवीय भूल के कारण रही त्रुटि के संबंध में मण्डल को संशोधन का अधिकार होगा। पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों का विवरण निम्नानुसार हैः–

पद का नाम	कुल पद	सामान्य (Gen)				अनुसूचित जाति (SC)				अनुसूचित जनजाति (ST)				पिछड़ा वर्ग (BC)				अति पिछड़ा वर्ग (MBC)				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)				विशेष योग्यजन/ निःशक्तजन (Horizontal Reservation)
		सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	
JSO	28	10	3	1	0	2	0	0	0	3	1	0	0	4	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2
JEE	86	22	7	2	0	10	3	1	0	8	2	1	0	13	4	1	0	3	1	0	0	6	2	0	0	4

Abbreviations used : Gen-General, S.C.-Scheduled Caste, ST-Scheduled Tribes, B.C.- Backward Classes, M.B.C.-More Backward Classes, E.W.S.-Economically Weaker Section

नोटः–

1. कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसी भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप–नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षो में उपलब्ध हो।
2. राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी नही होने पर इन पदों को नियमानुसार रिक्त रखा जायेगा।
3. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदो को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
4. अति पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः प.2(12)/विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग की जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 5 प्रतिशत आरक्षण देय है।
5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः प.7(1)/कार्मिक/क–2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।
6. मण्डल द्वारा भरे जाने वाले उक्त रिक्त पदों में महिला एवं विशेष योग्यजन हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा। अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का होगा उसी प्रवर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
7. महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांकः प.7(2)कार्मिक/क–2/88 पार्ट–I दिनांक 22.12.15 के अनुसार 30 प्रतिशत दिया जायेगा।
8. महिलाओं हेतु आरक्षित अभ्यर्थी दर्शाये गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परितयक्ता (विवाह विच्छिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। किसी वर्ग (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/विशेष योग्यजन) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा/परित्यक्ता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। विधवा अभ्यर्थी होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) को भी विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. किसी वर्ष विशेष में या तो विधवाओं के लिए विच्छिन्न विवाह महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियो के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर–परिवर्तन द्वारा, अर्थात विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह महिलाओं से या विपर्ययेन्, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के दशा में, न भरी गई रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित है। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवा और विच्छन्न विवाह महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिला को भी पहले महिला कोटे के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।
10. विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति (अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./अति.पि.व.) का नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(क्रमशः)

11. मुस्लिम विवाह विच्छिन्न (Divorcee) महिलाओं के मामले में न्यायालय की तलाक की डिक्री के अलावा तलाकनामा जारी करने हेतु अधिकृत काजी द्वारा जारी तलाकनामा भी मान्य होगा परन्तु इस बाबत् महिला को समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जो उनके तलाक को प्रमाणित करें एवं साथ ही महिला स्वयं को भी इस सम्बंध में स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। मुस्लिम महिलाओं के अतिरिक्त अन्य विवाह विच्छिन्न महिलाओं को सक्षम न्यायालय द्वारा तलाकनामे के डिक्री जारी होने पर ही विवाह विच्छिन्न श्रेणी के आरक्षण का लाभ देय होगा।

12. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा CA No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा DBSAW No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे Public employment में एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नही दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

13. राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के अनुसार निःशक्तजन की प्रकृति वाले अभ्यर्थियों की अक्षमताओं को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है:–

1. BLV (Blind Low Vision)
2. HI (Hearing Impairment)
3. LD & CP (Locomotor Disability & Cerebral Palsy)
   O.L.-One leg affected (R or L)
   (a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) at axis
   B.L.-Both legs effected but not arms
   O.A.-One arm

14. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तर परिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।

शैक्षणिक योग्यताएं:–

1.

Junior Scientific Officer:

First Class Master's Degree in any branch of Chemistry or Soil Science or Environmental Science or Microbiology, from University established by law in India or a foreign qualification recognized as equivalent thereto

Junior Environmental Engineer:

Master degree in Environmental Engineering after bachelor's degree either in Bio-Technology or Chemical or Civil or Mining or Environmenal or Textile Engineering from a University established by law in India or foreign qualification recognized as equivalent thereto

Or

First Class Bachelor's Degree in any of the above branches of Engineering from a University established by law in India or foreign qualification recognized as equivalent thereto

Note:- if a class/division is not awarded, minimum of 60% marks in aggregate shall be considered equivalent to first class/division. if a Grade Point System is adopted the CGPA will be converted equivalent marks as as per procedure adopted by the respective University/Institution.

2. Working Knowledge of Hindi written in Devnagri Scripts and knowledge of Rajsthan Culure.

शैक्षणिक अर्हता सम्बंधी प्रावधान:–

उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा।

पे–बैण्ड एवं ग्रेड–पे (वेतनमान):–

राज्य सरकार द्वारा देय सातवें वेतन आयोग के अनुसार **कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी** का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल–12 तथा **कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता** का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल–10 निर्धारित है।

नोट– ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन (नियम), 2017 एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियमों के अन्तर्गत परिवीक्षा कालावधि जो 2 वर्ष की है, के लिए, नियत दर से मासिक पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) संदत्त किया जायेगा अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें नियमानुसार वेतन भत्ते देय होंगे। पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, पे–मैट्रिक्स, सम्बधित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की दिनांक से ही अनुज्ञात किया जायेगा।

आयु सीमा:–

दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम।

राष्ट्रीयता:–

1. (क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या
(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या
(घ) तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1–1–62 से पहले स्थाई रूप से बसने के विचार से भारत आया हो, या
(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति है, जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्व का टंगानिया, जंजीबार, जाम्बिया, मालावाई, जैर तथा इथोपिया) से भारत आया है।

नोट–वर्ग (ख),(ग),(घ) और (ङ) से सम्बंधित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्यायिक विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ऐसे अभ्यर्थियों के जिनके मामलें में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है, मण्डल या अन्य किसी भर्ती प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने दिया जा सकेगा तथा उसे भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिये जाने के अध्यधीन अनन्तिम तौर पर नियुक्त किया जा सकेगा।

2. अन्य देशों से भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें:– इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु राष्ट्रीयता, आयु सीमा, फीस तथा अन्य रियायतों संबंधी उपबन्ध, ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो, ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जायें और ऐसे आदेशों या अनुदेशों को भारत सरकार द्वारा इस विषय में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तनों सहित विनियमित किया जायेगा।

विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियां	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and More Backward Classes of Rajasthan State	5 वर्ष Five Years
2.	सामान्य वर्ग की महिला एवं राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी Women Candidates belonging to General Category and Rajasthan State's Economically Weaker Sections (E.W.S.)	5 वर्ष Five Years
3.	राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and More Backward Classes of Rajasthan State	10 वर्ष Ten Years
4.	विधवा एवं विच्छिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला Widow and divorcee Women Explanation:- In the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish the proof of divorce.	अधिकतम आयु सीमा नहीं No Upper age limit
5.	उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो उसकी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive तौर पर सेवा कर चुका था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था। That upper age limit mentioned above, shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before conviction and was eligible for appointment under the rules.	
6.	ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में, उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा जो दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था। That upper age limit mentioned above, shall be relaxed by a period equal to the terms of imprisonment served in the case of an ex-prisoner who was not overage before his conviction and was eligible for appointment under the rules.	
7.	कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा। That the cadet instructors shall be allowed to deduct from their actual age the period of service rendered by them in the N.C.C. and if the resultant age does not exceed the maximum age limit prescribed above by more than three years, they shall be deemed to be with in the prescribed age limit.	
8.	निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे सीधी भर्ती के लिए मण्डल के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। That the released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be with in the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Commission had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.	
9.	राज्य, पंचायत समिति तथा जिला परिषद और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम/निगम के कार्यकलापों के सम्बंध में Substantive हैसीयत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के सम्बंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी। That the upper age limit for persons serving in connection with affairs of the State, Panchayat Samities and Zila Parishad and in the State Public Sector Undertaking/Corporation in Substantive capacity shall be 40 years.	
10.	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु यह कि शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules, 1988, relexation in upper age limit shall be five years to Ex-servicemen. Provided that if permissible age after relaxation works out to be more than 50 years then upper age limit of 50 years will be applicable. स्पष्टीकरण:– कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.08.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 यथासंशोधित के प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से सम्बधित सेवा नियमों में आयु सम्बंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अभ्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु सम्बंधी शिथिलता के सम्बंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा।	

नोट –

(1) उपर्युक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात अभ्यर्थियों को उपर्युक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा, एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(2) कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 एवं पत्र दिनांक 14.09.2017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/BC/MBC/EWS) के अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे–आयु सीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ दिया जाता है तो उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारित नही किया जायेगा।

(3) राजस्थान सेवा नियम एवं मण्डल के नियमों में सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(4) आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये है। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।

अन्य विवरण

चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। यह परीक्षा ऑनलाईन/ऑफलाईन आयोजित की जा सकती है। जिसके संबंध में विवरण मण्डल की वेबसाईट पर यथासमय प्रकाशित कर दिया जायेगा।
परीक्षा स्थान एवं तिथि	परीक्षा स्थान व तिथि के सम्बंध में यथासमय सूचित कर दिया जायेगा।
आवेदन अवधि	**दिनांक 24.12.2020 से दिनांक 23.01.2021 रात्रि 11.59 बजे तक।**
आवेदन प्रक्रिया	1 ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को मण्डल की वेबसाईट http://environment.rajasthan.gov.in/rpcb पर उपलब्ध Apply online link को Click करें अथवा इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी ई–मित्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते है। आवेदन पत्र भरने से पूर्व मण्डल के पोर्टल पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवें। तदउपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। 2. निरस्त किए गए आवेदन पत्र के अभ्यर्थी को किसी शुल्क की वापसी नही की जावेगी यदि आवेदन पत्र ऑनलाईन स्वीकृत होता है परन्तु किन्हीं कारणों (जिसमें सॉफ्टवेयर में त्रुटि शामिल है) से बाद में आवेदन निरस्त होने योग्य पाया जाता है तो उसे निरस्त किया जायेगा। अतः आवश्यक है कि आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी अपनी अर्हता के सम्बंध में सुनिश्चित हो लें। 3. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अन्तिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान सम्बधित Transaction का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके। 4. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन–पत्र क्रमांक (Application ID) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन भी जमा नहीं हुआ है, उसका आवेदन–पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा। 5. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मण्डल के Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें।

(क्रमशः)

6. आवेदक जिस श्रेणी के तहत् आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑनलाईन आवेदन करें।
7. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रिमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करते हुए सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
8. ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक, आरक्षण, आयु आदि की अर्हता से संबधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया जावे।
9. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल कर अपने पास रख लेंवे।
10. मण्डल द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन/हाथ से भरा हुआ आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
11. ऑनलाईन आवेदन पत्र राज्य के निर्धारित ई–मित्र (E-Mitra) के माध्यम से भरे जाने पर अभ्यर्थी द्वारा रूपये 60/– (आवेदन पत्र भरने हेतु रूपये 50/– + परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु रूपये 10/–) की राशि कियोस्क सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी।

ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन सम्बंधी सूचना:– आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् मण्डल द्वारा आवेदक को विसंगति होने पर अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में निम्नानुसार त्रुटि संशोधन कर सकता है :–

1. यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में केटेगरी के अतिरिक्त अन्य प्रविष्टियों में संशोधन करना चाहता है तो **आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 5 दिवस के भीतर** Online संशोधन (मण्डल की वेबसाईट पर उपलब्ध दिशा–निर्देशानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी (स्वयं) का ही होगा। आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन हेतु अभ्यर्थी अपना अनुरोध स्वयं की रजिस्टर्ड ई–मेल आई.डी. (जो आवेदन पत्र में भरी गई है) से ई–मेल आई.डी.–rspcbrecruithelp@gmail.com पर प्रेषित करें। साथ ही भरे गये आवेदन पत्र की PDF Format में प्रतिलिपि भी संलग्न करें। किसी अन्य ई–मेल आई.डी. से अथवा आवेदन पत्र की PDF Format में प्रतिलिपि के बिना भेजी गई अभ्यर्थना स्वीकार्य नहीं होगी। **ऑनलाईन संशोधन के तहत् आवेदक के नाम में संशोधन नहीं किया जायेगा।** आवेदक के नाम की वर्तनी सम्बंधी संशोधन के लिए किसी भी स्तर पर केवल ऑफलाईन प्रार्थना पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे, आवेदक का पूरा नाम किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
2. विधवा/परित्यक्ता/विकलांग वर्ग के वे अभ्यर्थी जो उक्त केटेगरी जोड़ना चाहते है, ऐसे अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा की तिथि से पूर्व तक वर्ग परिवर्तन स्वीकार्य होगा। इस हेतु आवेदन पत्र ऑफलाईन माध्यम से लिखित में राज्य मण्डल के मुख्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते है।
3. मण्डल द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त ऑफलाईन/ऑनलाईन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

परीक्षा शुल्क:–

(क)	सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु	रू. 1400/–
(ख)	राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु	रू. 1200/–
(ग)	समस्त निःशक्तजन, राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है, के आवेदकों हेतु	रू. 1000/–

नोट :–

1. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।
2. राज्य सरकार द्वारा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत लिये गये निर्णय के क्रम में जारी परिपत्र दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है, के लिए किसी भी भर्ती/परीक्षा/चयन में प्रवेश करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के समान ही आवेदक शुल्क देय होगा। उक्त परिपत्र के अनुसार राजस्थान राज्य के जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम होने का विकल्प चुना गया है, उन अभ्यर्थियों को पात्रता जांच के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा की योजना (Syllabus, Examination Scheme):-

Syllabus (Junior Scientific Officer):

PART-A

- Environmental General knowledge

This section will contain questions on National/International events related to environment and common understanding of environmental processes, NGT Act, Pollution Indices.

- Environmental Impact Assessment/ Environmental Legislations in India

Basic concept of Environmental Impact Assessment, Environmental Impact Statement and Environment Management Plan; Prediction and assessment of impacts on air, water, biota, noise, cultural and socioeconomic environment; Rapid and comprehensive Environmental Impact Assessment.

Environment (Protection) Act 1986, its amendments and various rules /notification made therein. Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.

- Water/Waste Water/Industrial Waste Water Analysis

Physical, chemical and biological characteristics of water, waste water and Sewage, performance evaluation of waste water treatment system.

- Air and Noise Pollution

Sources of air pollution; Properties of air pollutants; Meteorological factors influencing dispersion of air pollutants; Gaussian plume model for dispersion of air pollutants and its application; Effects on human health. Control technology for particulate and gaseous pollutants from industries. Air pollution due to Automobiles and emission control; Principles of measurements and equipment use for major parameters (Water/Air/Noise); Basics of noise pollution, Measurement and management of noise and effects on human beings, Ambient Air Quality standards & Air Quality Index.

- Municipal Solid, Biomedical, e-waste, plastic waste and Hazardous solid Waste

Problems associated with solid Waste viz; municipal, biomedical, hazardous, e-waste, plastic waste etc., its generation, classification, characterization, analysis, treatment, reuse, recycle etc; Risk associated with hazardous waste & its Assessment; Waste Minimization; Priorities in hazardous waste management; hazardous waste treatment.

PART-B

- General Knowledge (with special reference to history, art, culture, traditions, literature, heritage and geography of Rajasthan, Mathematics, reasoning current affairs)

Examination Scheme:- There will be one paper consisting of two parts having multiple choice type questions. There will be total 150 numbers of questions of 3 marks each. The question paper will be only in English.

Junior Scientific Officer:

Paper-Subject	No. of Question	Time	Total Marks
PART-A : Environmental Science	120	3 Hours	450
PART-B : General Knowledge	030		
Note:-(1) Each question will carry 3 marks.			
(2) One mark will be deducted for each incorrect answer			

Syllabus (Junior Environmental Engineer):

PART-A

- Environmental General Knowledge

This section will contain questions on National/International events related to environment and common understanding of environmental processes, NGT Act, Pollution Indices.

- Water/Waste Water/Industrial Waste Water Engineering

Unit processes/Operations related to water and waste water treatment, namely Equalization Coagulation; Flocculation; Settling; filtration; Disinfection; Aeration; Adsorption etc.

Physical, chemical and biological characteristics of water and Sewage; Activated sludge process and its modifications; treatment ponds and aerated lagoons; Trickling filters; Rotating biological contactors; Sequencing Batch reactor and Membrane Batch Reactor.

Anaerobic digestion; Anaerobic filter and UASB, Nitrification & De- nitrification.

Characteristics and treatment of waste from Textile, Tannery, Dairy, Distillery, Cement Industry

- Air and Noise Pollution

Sources of air pollution; Properties of air pollutants; Meteorological factors influencing dispersion of air pollutants; Gaussian plume model for dispersion of air pollutants and its applications, Effects on human health. Control technology for particulate and gaseous pollutants from industries. Air pollution due to Automobiles and emission control;
Basic of noise pollution, Measurement and management of noise. Permissible noise levels in different zones, Effects of noise on human beings, Ambient Air Quality standards & Air Quality Index.

- Environmental Impact Assessment/ Environmental Legislations in India

Basic concept of Environmental Impact Assessment, Environmental Impact Statement and Environment Management Plan; Prediction and assessment of impacts on air, water, biota, noise, cultural and socioeconomic environment; Rapid and comprehensive Environmental Impact Assessment.

Environment (Protection) Act 1986, its amendments and various rules /notification made therein. Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.

Municipal Solid, Biomedical, e-waste, plastic waste and Hazardous solid Waste

Problems associated with solid Waste viz; municipal, biomedical, hazardous, e-waste, plastic waste etc., its generation; classification; characterization; analysis; Onsite Collection Handling, storage Transport and Processing of solid waste; Recovery of Resources, Conversion Products and Energy generation from solid waste. Hazardous waste definition; Risk associated with hazardous waste & its Assessment; Waste Minimization; Priorities in hazardous waste management; hazardous waste treatment.

PART-B

- General Knowledge (with special reference to history, art, culture, traditions, literature, heritage and geography of Rajasthan, Mathematics, reasoning current affairs)

Examination Scheme:- There will be one paper consisting of two parts having multiple choice type questions. There will be total 150 numbers of questions of 3 marks each. The question paper will be only in English.

Junior Scientific Officer:

Paper-Subject	No. of Question	Time	Total Marks
PART-A : Environmental Science	120	3 Hours	450
PART-B : General Knowledge	030		
Note:-(1) Each question will carry 3 marks.			
(2) One mark will be deducted for each incorrect answer			

(क्रमशः)

अति महत्वपूर्ण बिन्दु:–

(1) अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर वह परीक्षा इत्यादि सम्बंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(2) आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन–पत्र ध्यानपूर्वक भरें। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन–पत्र अन्तिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गई है। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को सही मानकार मण्डल द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।

(3) अभ्यर्थी मण्डल द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना अपना ऑनलाईन आवेदन करें अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए मण्डल जिम्मेदार नहीं होकर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

(4) आवेदक द्वारा स्वयं/ई–मित्र/अन्य किसी स्त्रोत से ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाईन आवेदन–पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), योग्यता इत्यादि संबंधी प्रविष्टियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् ही उन्हें सुधारते हुए ऑनलाईन आवेदन–पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लेवें। **अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो मण्डल द्वारा आवेदन–पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लेवें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।**

(5) यदि आवेदक द्वारा ...ी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् उसकी श्रेणी मे सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन–पत्र मण्डल द्वारा किसी भी स्तर पर रदद् किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/अन्य वर्ग के अभ्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Application Form प्राप्ति की अंतिम दिनांक पश्चात/संशोधन करने की अवधि समाप्त होनें के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते है तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी एवं अभ्यर्थी/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाईन आवेदन–पत्र निरस्त/रदद्/पात्रता रदद् कर दी जायेगी/जायेगा।

(6) मण्डल द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी इत्यादि) की जाँच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवदेक की होगी।

(7) आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र, आवेदन–पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक मण्डल की वेबसाईट पर पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होगें, ऐसे आवेदकों को मण्डल द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश–पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि मण्डल द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन–पत्र में उल्लेखित प्रविष्टियाँ मण्डल द्वारा सही मान ली गई है। मण्डल द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जाएगी। यदि अभ्यर्थी की किसी भी कारण से अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

(8) आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। साथ ही इस विज्ञापन में दी गई उक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को मण्डल द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लेखित अनुसार शैक्षणिक योग्यता होनें पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।

(9) परीक्षार्थियों को ई–प्रवेश पत्र में उल्लेखित विस्तृत दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

(10) राज्य कर्मचारी को देय लाभ यथा आयु सीमा में छूट, आरक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य ही माने जायेंगे, उन्हें उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।

नियुक्ति के लिए अयोग्यता–

(अ) यदि किसी अभ्यर्थी/परीक्षार्थी को राज्य की किसी भी भर्ती/परीक्षा बोर्ड द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग/उपभोग या अनुचित/अभद्र व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं/साक्षात्कारों आदि से विवर्जित (Debar) किया गया है, तो मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं/साक्षात्कार में सम्मिलित होनें की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।

(ब) किसी भी ऐसे पुरूष/महिला अभ्यर्थी को जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये उसे विशेष आधार है।

(स) किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है, जिसके पहले जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियन की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है, यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये उसे विशेष आधार है।

(द) किसी भी विवाहित पुरूष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।

स्पष्टीकरण–इस नियम के प्रयोजन हेतु दहेज से वही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिरोध एक्ट, 1961 (सेन्ट्रल एक्ट, 28 ऑफ 1961) में है।

(य) राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक:प.6(19)गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राज्य सेवा एवं मण्डल सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है।

(र) राजस्थान लोक सेवा आयोग/राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नही कर पायेंगे।

(व) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निर्रहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि दिनांक 01.06.2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि किसी भी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा/संतान है, किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे/संताने पैदा होते है, वहां बच्चों/संतानो की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुये बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानो की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है वह ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। तत्संबंधी शपथ–पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।

(श) ऐसे अभ्यर्थी जो धुम्रपान एवं गुटखा सेवन करते है, वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

प्रमाण–पत्रों का सत्यापन:–

आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/अन्य) का लाभ तब ही देय होगा जबकि परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावें–

1. जाति प्रमाण–पत्र जो कि सक्षम प्राधिकरी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो।
2. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण–पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण–पत्र जो नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए होनें आवश्यक हैं।
3. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण–पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी Income & Assets Certificate प्रस्तुत करना होगा।
7. शैक्षणिक योग्यता/परीक्षा दिनांक तक अर्जित होना आवश्यक है तथा शेष सभी जैसे– श्रेणी/वर्ग/जाति (सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण–पत्र), आयु (आयु की गणना हेतु सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण–पत्र), (मण्डल की वेबसाईट पर उपलब्ध दिशा–निर्देशानुसार प्रमाण–पत्र), विकलांगता (सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण–पत्र जिसमें निःशक्तता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख) राज्य कर्मचारी एवं अन्य के अनुसार ऑनलाईन आवेदन–पत्र की अंतिम दिनांक/संशोधन की दिनांक तक प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है। विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास पति का मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं पति के नाम से लिंक प्रमाण पत्र तथा परित्यक्ता श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी डिक्री परीक्षा का मूल परिणाम जारी होने की दिनांक तक होना आवश्यक है।
8. विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. आवेदक को अंतिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण–पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के संबंध में कम से कम अच्छा का उल्लेख/अंकित होना,आवश्यक होगा।
10. आवेदक को चयन उपरान्त आचरण सम्बंधी पुलिस सत्यापन प्रमाण–पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।
11. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जाँच सम्बंधी चिकित्सा प्रमाण–पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
12. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा के यथा/जेसे केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण–पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

आवेदन–पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवदेन–पत्र नहीं भरने के संबंध में विशेष निर्देश–

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने से पूर्व परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थियों हेतु मण्डल द्वारा मण्डल की वेबसाइट पर जारी नवीनतम एवं संशोधित आवेदन–पत्र व परीक्षा से संबंधित निर्देशो का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन–पत्र भरें। ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन हेतु निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना आवेदन–पत्र में पाये जाने पर आवेदक का आवेदन–पत्र रद्द कर दिया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवदेक की होगी तथा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन–पत्र के सुधार हेतु व्यक्तिशः/ऑफलाईन प्रार्थना–पत्र/ऑनलाईन प्रार्थना–पत्र/पत्र–व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। चूंकि मण्डल द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता की जाँच सम्बधित भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी होने के पश्चात् अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आवेदन–पत्र के माध्यम से पूर्व किये गये ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना के आधार पर की जाती है। इसलिए ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को सही मानते हुए भर्ती परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी है, तो अभ्यर्थी का चयन रदद् करने का अधिकार मण्डल का होगा व इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी जिसके सम्बंध में अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

विशेष नोट:–

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मण्डल द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक/ई–मित्र/अन्य स्त्रोत द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन–पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवदेन–पत्र में आवश्यक वांछित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाईन/विस्तृत आवेदन–पत्र मण्डल द्वारा भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर खारिज/निरस्त कर दिया जाता है, तो इस संबंध में किसी प्रार्थना–पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा। आवेदक को चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के लिए यात्रा–भत्ता अथवा दैनिक भत्ता आदि देय नहीं होगा।

अन्य बिन्दु व सूचना:– परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए मण्डल की वेबसाइट http://environment.rajasthan.gov.in/rpcb पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवे। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के संबंध में समय–समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन मण्डल की वेबसाईट पर कर सकते है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु **हेल्पलाईन नम्बर** 0141–2715086 **अथवा ई–मेल** rspcbrecruithelp@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(उदय शंकर)
सदस्य सचिव

डी.आई.पी.आर/सी/9852/2020 रा.रो.सं 1/2021

मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान)

जेएलएन मार्ग, जयपुर-302017

(विज्ञापन सं. एईएस/एमएनआईटी/स्था/2020/03)

समूह-क (ग़ैर-शिक्षण पदों) के लिए भर्ती

मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर भारत सरकार द्वारा स्थापित 31 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से एक, संसद के अधिनियम द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान और देश का एक प्रमुख तकनीकी संस्थान है जो इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रबंधन, मानविकी, समाज विज्ञान और वास्तुकला में कई स्नातक-पूर्व, स्नातकोत्तर और डॉक्टरल कार्यक्रम संचालित कर रहा है, तथा शैक्षणिक अनुसंधान और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए भी उत्कृष्ट माहौल प्रदान करता है.

इच्छुक अभ्यर्थियों को संस्थान की वेबसाइट : https://www.mnit.ac.in के जरिए केवल ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए. किसी अन्य पद्धति से प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर नामंजूर कर दिया जाएगा. प्रत्येक पूर्ण ऑनलाइन आवेदन-पत्र को एक विशिष्ट आवेदन संदर्भ संख्या से चिन्हित किया जाएगा, जिसे भविष्य के सभी पत्राचार के लिए प्रयोग में लाया जाना चाहिए. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इसे संस्थान की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें तथा भरे हुए आवेदन प्रपत्र की डाउनलोड की गई पीडीएफ हार्ड प्रति, साथ में संगत शंसापत्रों, प्रमाणपत्रों, संलग्नकों आदि की स्वयं सत्यापित प्रतियां अंतिम तिथि से पहले स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/कोरियर से नीचे दिए गए पते पर भेज दें अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा:-

उप पंजीयक
स्थापना अनुभाग, प्रभा भवन
मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर
जेएलएन मार्ग, जयपुर, राजस्थान-302017, भारत

ऑनलाइन आवेदन की **अंतिम तिथि 16 जनवरी 2021** तथा भरे हुए आवेदन प्रपत्र की डाउनलोड की गई हार्ड प्रति एमएनआईटी, जयपुर में प्राप्त करने की **अंतिम तिथि 25 जनवरी 2021 सायं 05.30 बजे है.** जिस लिफाफे में आवेदन-पत्र भेजें उसके ऊपर साफ अक्षरों में ''.......................... **के पद के लिए आवेदन-पत्र''** लिखा होना चाहिए.

क्रम सं.	पद का नाम	7वें कें.वे.आ. के अनुसार वेतन लेवल (छठे कें.वे.आ. के अनुसार समकक्ष एवं जीपी	रिक्त						कुल जोड़
			अना	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस	दिव्यांग	
1.	लाइब्रेरियन	वेतन लेवल 14 (पीबी-4 एवं जीपी रु. 10000/-)	1	0	0	0	0	0	1
2.	उप पंजीयक	वेतन लेवल 12 (पीबी-3 एवं जीपी रु. 7600/-)	1	0	0	0	0	0	1
3	सहायक लाइब्रेरियन	वेतन लेवल 10 (पीबी-3 एवं जीपी रु. 5400/-)	2	0	0	0	0	0	2
4.	सहायक पंजीयक	वेतन लेवल 10 (पीबी-3 एवं जीपी रु. 5400/-)	4	1	0	3	1	0	9
5.	वैज्ञानिक/ तकनीकी अधिकारी	वेतन लेवल 10 (पीबी-3 एवं जीपी रु. 5400/-)	3	0	0	1	0	0	4
								कुल	17

ग़ैर शिक्षण पदों के लिए भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुरूप, उपर्युक्त पद (ों) के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हताएं और अनुभव/आयु मानदंड, नीचे दिया गया है :-

क्रम सं.	पद का नाम	शैक्षणिक अर्हताएं, अनुभव और आयु सीमा
1	लाइब्रेरियन	**अनिवार्य अर्हता :** 10 प्वाइंटस स्केल में 6.5 के सीजीपीए अथवा कम से कम 60 प्रतिशत अंकों अथवा यूजीसी सात प्वाइंट स्केल में इसके समकक्ष ''बी'' ग्रेड के साथ पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/प्रलेखन में मास्टर डिग्री तथा इन विनियमों में निर्धारित लगातार अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड. **अनुभव : i)** सदृश पद धारण किए हुए हों अथवा **ii)** किसी तकनीकी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व के शैक्षणिक संस्थान के पुस्तकालय, अथवा किसी अन्य बड़े तकनीकी पुस्तकालय में उप लाइब्रेरियन के तौर पर कम से कम दस वर्षों का अनुभव, कम से कम 3 वर्ष पीबी-4 (रु. 37400-67000/-) साथ में जीपी 8700/- में पद पर अथवा इसके समकक्ष पद पर व्यतीत किए हों. **iii)** अभिनव पुस्तकालय सेवा और पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण के लिए प्रतिबद्धता का अनुभव (प्रमाण के साथ समर्थित) **वांछनीय :** सीधे पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/प्रलेखन से जुड़े संगत विषयक्षेत्र में उच्चतर डिग्री (पीएच.डी या समकक्ष) **आयु सीमा :** 56 वर्ष से अधिक न हो.
2	उप पंजीयक	**अनिवार्य अर्हता :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों अथवा सीजीपीए/यूजीसी प्वाइंट स्केल में इसके समकक्ष ग्रेड में किसी भी विषयक्षेत्र में मास्टर डिग्री साथ में अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड. **अनुभव :** **i)** रु. 6000/- और ऊपर के एजीपी में सहायक प्रोफेसर का 9 वर्ष का अनुभव साथ में 3 वर्ष का अनुभव शैक्षणिक और प्रशासन में हो, **अथवा** **ii)** अनुसंधान स्थापना और/अथवा अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों में समतुल्य अनुभव, **अथवा** **iii)** ग्रेड वेतन रु. 5400/- या समकक्ष पद में सहायक पंजीयक के तौर पर 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव. **वांछनीय : i)** प्रबंधन/इंजीनियरिंग/विधि/वित्त और लेखा के क्षेत्र में अर्हता **ii)** ई-ऑफिस सिस्टम में कार्य का अनुभव **iii)** चार्टर्ड अथवा कॉस्ट एकाउंटेंट डिग्री या उप पंजीयक (वित्त एवं लेखा) अथवा उप पंजीयक (आंतरिक लेखा परीक्षा) के पद के लिए डिप्लोमा **आयु सीमा :** 50 वर्ष से अधिक न हो.
3	सहायक लाइब्रेरियन	**अनिवार्य अर्हता:** **i)** कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/प्रलेखन विज्ञान में मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष ग्रेड (10 प्वाइंट स्केल में 6.5) अथवा यूजीसी सात प्वाइंट स्केल में इसके समकक्ष ग्रेड 'बी' के साथ समकक्ष व्यावसायिक डिग्री अथवा इसके समकक्ष तथा कम्प्यूटरीकृत पुस्तकालय सेवा के अच्छे ज्ञान के साथ लगातार अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड. **ii)** यूजीसी अथवा किसी अन्य अनुमोदित एजेंसी द्वारा उद्देश्य के लिए आयोजित नेट/स्लेट/सेट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में अर्हता **वांछनीय :** **i)** पुस्तकालय ऑटोमेशन और नेटवर्किंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा पीजीडीसीए या समकक्ष **ii)** संगत विषयक्षेत्र में उच्चतर डिग्री (पीएच.डी या समकक्ष) रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी. **आयु सीमा :** 35 वर्ष से अधिक न हो. **टिप्पणी : केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप विभागीय अभ्यर्थियों** के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय.
4	सहायक पंजीयक	**अनिवार्य अर्हता:** **i)** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों अथवा सीजीपीए/यूजीसी प्वाइंट स्केल में इसके समकक्ष ग्रेड में किसी भी विषयक्षेत्र में मास्टर डिग्री साथ में अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड, **अथवा** **ii)** कम से कम दो वर्षों की नियमित सेवा के साथ पीबी-2, जीपी रु. 5400/- में अधीक्षक (एसजी-I)/निजी सचिव (एनएफजी) के तौर पर अथवा कम से कम पांच वर्षों की नियमित सेवा के साथ पीबी-2, जीपी रु. 4800/- में अधीक्षक (एसजी-II)/निजी सचिव (एनएफजी) के तौर पर सेवारत कर्मचारी साथ में मास्टर डिग्री. **वांछनीय :** i) प्रबंधन/इंजीनियरिंग/विधि/वित्त और लेखा के क्षेत्र में अर्हता ii) ई-ऑफिस सिस्टम में कार्य का अनुभव iii) सहायक पंजीयक (वित्त एवं लेखा) के पद के लिए चार्टर्ड अथवा कॉस्ट एकाउंटेंट **आयु सीमा :** 35 वर्ष से अधिक न हो. **टिप्पणी :** केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुरूप विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय.
5	वैज्ञानिक/ तकनीकी अधिकारी	**अनिवार्य अर्हता :** (i) प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष ग्रेड (10 प्वाइंट स्केल में 6.5) और लगातार उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ संगत क्षेत्र में बी.ई/बी.टेक/एम.एससी अथवा एमसीए डिग्री **अथवा** (ii) संस्थान में दो वर्षों की नियमित सेवा के साथ पीबी-2 में कम से कम 5 वर्ष (ग्रेड वेतन 4800/-) के लिए तकनीकी सहायक(एसजी-II) अथवा ग्रेड वेतन रु. 5400/- के साथ तकनीकी सहायक (एसजी-I) के तौर पर सेवारत संस्थान के कर्मचारी **वांछनीय :** (i) निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्यानुभव को वरीयता दी जाएगी : क) अनुसंधान के फैब्रिकेशन और समर्थन में वैज्ञानिक उपकरणों का अनुरक्षण, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ख) वेब एप्लीकेशन और ईआरपी डेवलपमेंट, वरीयतन जावा आधारित प्रौद्योगिकी/टूल्स में. ग) डॉटा सेंटर एवं क्लाउड टेक्नोलॉजी (वरीयतन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी) और सिस्टम/सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन घ) नेटवर्क एवं सिक्यूरिटी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर परिभाषित और अगली पीढ़ी के फायर-वाल का कार्यान्वयन एवं प्रबंधनः एक्ससेस कंट्रोल एवं नेटवर्क ट्रैफिक संबंधी मुद्दे (ii) संगत क्षेत्र में पीएच.डी रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी. **आयु सीमा:** 35 वर्ष से अधिक न हो. **टिप्पणी :** केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय.

(क्रमशः)

टिप्पणी:

1. ग़ैर शिक्षण पदों के लिए संगत भर्ती नियम संस्थान की वेबसाइटः **www.mnit.ac.in** पर उपलब्ध है. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने से पहले इसका संदर्भ लें.
2. रिक्तियों की संख्या बगैर किसी अधिसूचना के बढ़ाई/घटाई जा सकती है.
3. चयन समिति की अनुशंसा और इसके बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अनुमोदन पर सुयोग्य अभ्यर्थियों को उच्चतर शुरुआती वेतन और/अथवा वेतन मैट्रिक्स लेवल का प्रस्ताव किया जा सकता है.

आयु सीमा/शिथिलता :

क) प्रत्येक पद के लिए अधिकतम आयु सीमा भर्ती नियमों के अनुरूप होगी.

ख) विभिन्न श्रेणियों के लिए आयु में छूट कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 15012/2/2010-स्था.(घ) दिनांक 27 मार्च, 2012 के अनुरूप उपलब्ध है.

ग) अधिकतम आयु अपिव अभ्यर्थियों के लिए 3 वर्ष शिथिलनीय है.

घ) अधिकतम आयु अजा/अजजा अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष शिथिलनीय है.

ङ) अधिकतम आयु बेंचमार्क निःशक्तता वाले अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष शिथलनीय है.

च) आयु सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि 17 दिसंबर 2020 अर्थात विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि होगी.

छ) जन्म तिथि केवल एसएससी/माध्यमिक स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र/जन्म प्रमाणपत्र में उल्लिखित स्वीकार्य होगी. परिवर्तन के लिए बाद में किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.

प्रोसेसिंग/आवेदन शुल्क :

(i) अना, ईडब्ल्यूएस, अपिव (ग़ैर संपन्न वर्ग) श्रेणी से संबंधित आवेदकों के लिए 1000/- रु. के अप्रतिदेय प्रोसेसिंग शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना अपेक्षित होगा. अजा/अजजा, दिव्यांग और महिला आवेदकों को प्रोसेसिंग शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है. एमएनआईटी के नियमित ग़ैर शिक्षण स्टाफ सदस्यों को भी आवेदन शुल्क जमा करने से छूट प्राप्त है, इसके लिए उन्हें पोर्टल पर पंजीकरण के लिए केवल संस्थान के मेल आईडी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए.

(ii) किसी भी स्थिति में आवेदन प्रोसेसिंग शुल्क अप्रतिदेय है.

सामान्य अनुदेश और सूचना

1. इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन कर रहे आवेदकों को आवेदित पद के लिए अपनी **पात्रता के संबंध में स्वयं** को संतुष्ट कर लेना चाहिए. वे आवेदनों की बंद होने की तिथि को पात्रता **मानदंड** अवश्य पूरा करते हों अन्यथा उनके आवेदनों को नामंजूर कर दिया जाएगा. संस्थान भर्ती प्रक्रिया पूरी **होने के बाद केवल तीन वर्ष** के लिए ग़ैर अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन विवरण **और आवेदन प्रपत्रों** की हार्ड प्रति रखता है.
2. जो अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहता **है उसे प्रत्येक** पद के लिए निर्धारित तरीके से अलग-अलग आवेदन करना चाहिए और प्रत्येक पद के **लिए अलग आवेदन** प्रस्तुत करना चाहिए.
3. जो आवेदन निर्धारित प्रपत्र में नहीं हैं/बगैर संगत समर्थित **अनुलग्नकों** के हैं उन्हें सीधे ही नामंजूर कर दिया जाएगा. इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार **नहीं किया** जाएगा.
4. व्यक्तिशः पावतियों के लिए अनुरोध पर विचार नहीं **किया** जाएगा. जो पावती चाहते है वे **अपने आवेदन स्पीड** पोस्ट/पंजीकृत डाक/कोरियर से भेज सकते हैं.
5. एमएनआईटी जयपुर का प्रयास ऐसे कार्यबल के प्रति **है जिसमें** लिंग समानता झलकती **हो और** इस तरह महिला अभ्यर्थियों को विशेष तौर पर आवेदन करने के लिए **प्रोत्साहित** किया जाता है.
6. उम्मीदवारों को क्षेत्र/व्यवसाय में प्रमुख व्यक्तियों के दो **संदर्भों** का उल्लेख करना **चाहिए.**
7. **संस्थान की जांच समिति को विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम से उच्चतर शर्तें निर्धारित करने का अधिकार** सुरक्षित है. भर्ती से जुड़े सभी मामलों के संबंध में संस्थान **का** निर्णय अंतिम और **आवेदकों** पर बाध्यकारी होगा. किसी भी चरण में दस्तावेज सत्यापन के दौरान उत्पन्न कोई भी विवाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा निपटाया जाएगा और उनका निर्णय अंतिम होगा.
8. प्रत्येक मामले में अर्थात अर्हताओं और अनुभव आदि के **संबंध में** अभ्यर्थियों **की** पात्रता के निर्धारण की तिथि **16 जनवरी 2021** अर्थात आवेदन की अंतिम तिथि को **विचार** में लिया जाएगा.
9. चयन की प्रक्रिया में चूकवर्ष को त्रुटि होने के मामले में, जिसका पता **किसी** भी चरण में यहां तक कि नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद भी लगता है, संस्थान के पास अभ्यर्थियों को प्रेषित किसी भी पत्र को वापस लेने/निरस्त/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है.
10. **यदि अपेक्षित हुआ तो अल्पसूचीकरण के लिए एमएनआईटी जयपुर में लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकती है.**
11. चयन प्रक्रिया में उपस्थित होने के लिए बाहरी अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ते (टीए) का भुगतान नहीं किया जाएगा.
12. पात्रता मानदंड पूरा करने मात्र से अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने की गारंटी नहीं हो जाती है. संस्थान के पास, लिखित परीक्षा/साक्षात्कार सहित, संस्थान द्वारा यथा निर्णीत अल्पसूचीकरण मानदंड के लिए उच्चतर बेंचमार्क के आधार पर आवेदनों के अल्पसूचीकरण से लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सीमित करने का अधिकार सुरक्षित है.
13. आवेदक को उनके द्वारा अपने आवेदन प्रपत्र में प्रेषित सूचना के आधार पर लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश प्रदान किया जाएगा. अतः उन्हें आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि वे सभी पात्रता मानदंड पूरा करते हैं. यदि बाद के चरण में यह पाया जाता है कि वह कोई अन्य पात्रता शर्तें पूरी नहीं करता है, ऐसे आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी और इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा. लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने से नियुक्ति के लिए कोई अधिकार नहीं हो जाएगा. नियुक्ति पूरी तरह सभी पात्रता शर्तें पूरा करने के विषयाधीन होगी.
14. लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के लिए विचार नहीं किए गए अभ्यर्थियों से किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा.
15. सरकारी/अर्द्ध सरकारी/स्वायत्त संस्थाओं/सांविधिक संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पीएसबी में सेवारत व्यक्तियों को अपने आवेदन-पत्र **उचित माध्यम** से भेजने चाहिए अथवा साक्षात्कार के समय उस संगठन के सक्षम प्राधिकारी से **अनापत्ति प्रमाण-पत्र** प्रेषित करना चाहिए जिसमें वे सेवारत हैं. हालांकि, वे भरे हुए आवेदन-पत्र की अग्रिम प्रति भेज सकते हैं आवेदन प्रपत्र के प्रथम पृष्ठ पर इसका उल्लेख करना चाहिए. यदि आवेदन-पत्र की अग्रिम प्रति भेजी जाती है और उचित माध्यम से आवेदन प्राप्त नहीं होता है, अल्पसूचीबद्ध उम्मीदवार को लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है, यदि वह अपने वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेकर आ जाता है. चयन समिति का निर्णय, इस संबंध में अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा.
16. लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के समय सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज साथ में स्वयं सत्यापित प्रतियों का एक सेट लेकर आना होगा.
17. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित तौर पर संस्थान की वेबसाइटः **www.mnit.ac.in** देखते रहें. कोई भी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र केवल संस्थान की वेबसाइट पर डाला जाएगा. आवेदकों/अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे नियमित तौर पर संस्थान की वेबसाइट देखें. लिखित परीक्षा/साक्षात्कार आदि जैसी चयन प्रक्रिया में आगे भागीदारी के लिए अल्पसूचीबद्ध उम्मीदवारों की सूची संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी. इस संबंध में अलग से कोई पत्राचार/सूचना नहीं दी जाएगी.
18. किसी सरकारी संगठन में कार्यरत अभ्यर्थियों के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला लंबित नहीं होना चाहिए. ऐसे मामलों में आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा अथवा जांच नहीं की जाएगी.
19. संस्थान के पास बगैर कोई कारण बताए पदों को नहीं भरने, विज्ञापन पूर्णरूपेण अथवा अंशः निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है और इस संबंध में उसका फैसला अंतिम होगा.
20. पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है, बशर्ते कि विज्ञापित से अधिक पदों के लिए अथवा विज्ञापन के उपरांत उत्पन्न कुछ रिक्तियों के लिए एमओई से मंजूरी प्राप्त हो जाती है.
21. अपूर्ण आवेदन अथवा जिन आवेदनों के साथ संगत समर्थित अनुलग्नक नहीं हैं अथवा जो आवेदन निर्धारित प्रपत्र में नहीं हैं उन्हें सीधे नामंजूर कर दिया जाएगा. संस्थान डाक में किसी देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा. अंतरिम पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा अथवा उत्तर नहीं दिया जाएगा.
22. पात्रता के संबंध में सभी संबद्ध प्रमाणपत्र, मूल रूप में दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है. पात्रता साबित करने के लिए मूल प्रमाणपत्रों के बगैर उम्मीदवारी को दस्तावेज सत्यापन के समय सीधे ही नामंजूर कर दिया जाएगा.
23. पात्रता, आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने, झूठी सूचना के लिए पेनाल्टी, चयन की पद्धति, परीक्षाओं का आयोजन, चयन और चयनित अभ्यर्थियों को पदों/संगठनों का आबंटन से संबंधी सभी मामलों में एमएनआईटी जयपुर का निर्णय अंतिम और अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में किसी पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा.
24. अभ्यर्थी के संबंध में किसी कानूनी अदालत से दोष सिद्धि नहीं हुई हो.
25. यदि अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई सूचना अथवा घोषणा झूठी पाई गई अथवा यदि अभ्यर्थी ने नियुक्ति के संगत कोई तथ्यात्मक सूचना को जानबूझकर छिपाया है उसे सेवा से हटाया जा सकता है और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथोचित कार्रवाई की जा सकती है.
26. मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर के साथ कोई भी कानूनी विवाद, यदि कोई है, केवल जयपुर, राजस्थान के अधिकार क्षेत्र तक सीमित रहेगा.
27. ऑनलाइन फीस और फॉर्म प्रस्तुति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए हेल्पलाइन ई-मेल आईडी है: **recruithelp202003@mnit.ac.in.**

दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों/डिग्रियों की अपेक्षा

लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के समय निम्नलिखित दस्तावेज/प्रमाणपत्र मूल रूप में साथ में फोटो प्रति का एक सेट और ऑनलाइन भर्ती आवेदन पीडीएफ तथा बैंक में जमा आवेदन शुल्क की रसीद/सबूत लेकर आना अपेक्षित है, अन्यथा उम्मीदवारी को सरसरी तौर पर नामंजूर कर दिया जाएगा और उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया में आगे भाग लेने के लिए **प्रतिबंधित** कर दिया जाएगा.

1. आयु के **उनके** दावे के समर्थन में जन्म तिथि के उल्लेख के साथ केंद्रीय/राज्य बोर्ड से जारी मैट्रिकुलेशन/10वीं **श्रेणी या समकक्ष प्रमाणपत्र** जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख किया गया है अथवा मैट्रिकुलेशन/10वीं श्रेणी या समकक्ष **की अंक तालिका.**
2. हायर सेकेंडरी/**12वीं कक्षा** (अथवा समकक्ष) बोर्ड अंक शीट.
3. दावा की गई शैक्षणिक **अर्हता** के सबूत के तौर पर डिग्री प्रमाणपत्र साथ में सभी शैक्षणिक वर्षों से जुड़ी अंक **तालिकाएं.** डिग्री विशेष **प्रमाणपत्र की** अनुपस्थिति में डिग्री कार्यक्रम की अंक तालिका स्वीकार की जाएगी.
4. अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति/**अनुसूचित** जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने के दावे के समर्थन में पर्याप्त सबूत के तौर पर केवल **कार्मिक** और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या एफ नं. 36028/1/2014-स्था. (आर.) **दिनांक** 3 सितंबर, 2015 में निर्धारित और जारी जाति/जनजाति/समुदाय प्रमाणपत्र स्वीकार्य होगा. अजा **और अजजा** प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र (**परिशिष्ट-I**) में अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए.
5. विधिवत पूर्ण आवेदन प्रपत्र के **साथ** संगत जाति/जनजाति/समुदाय प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है. कोई अन्य प्रमाणपत्र पर्याप्त सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा.

   अभ्यर्थी की जाति http://socialjustice.nic.in/UserView/PrintUserView?mid=76750 में दी गई अनुसूचित जातियों की राज्य वार केंद्रीय सूची में अवश्य होनी चाहिए अथवा अभ्यर्थी की जाति https://tribal.nic.in/ST/LatestListofScheduledtribes.pdf में दी गई अनुसूचित जनजातियों की राज्य वार केंद्रीय सूची में अवश्य होनी चाहिए.
6. अपिव (ग़ैर संपन्न **वर्ग**) **श्रेणी** के अधीन आरक्षण हेतु 1 अप्रैल, 2019 को अथवा इसके बाद जारी अपिव प्रमाणपत्र पर विचार **किया** जाएगा. प्रमाणपत्र में साफ तौर पर उल्लेख होना चाहिए कि अभ्यर्थी ग़ैर संपन्न वर्ग से संबंधित **है और** उम्मीदवार की जाति **http://www.ncbc.nic.in/User_Panel/CentralListStateView.aspx.** में दी गई अपिव की राज्य वार केंद्रीय सूची में अवश्य होनी चाहिए. अपिव प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र (**परिशिष्ट-II**) में अवश्यक प्रस्तुत किया जाना चाहिए.
7. ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अधीन **आरक्षण** के लिए 1 अप्रैल, 2019 को अथवा इसके बाद जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र पर विचार किया जाएगा, **जिसके परिवार** की सकल वार्षिक आय आवेदन के वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष के लिए 8.00 लाख रु. (केवल आठ लाख रुपए) से नीचे है. साथ ही ऐसे व्यक्तियों जिनका परिवार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार **के का.ज्ञा. सं.** 36039/1/2019-स्था (आर.) दिनांक 31 जनवरी, 2019 में यथा उल्लिखित कोई परिसंपत्ति **का स्वामित्व अथवा** धारण करता है, को भी ईडब्ल्यूएस के तौर पर चिन्हित किए जाने से अलग कर दिया जाएगा **भले ही** पारिवारिक आय कुछ भी हो. ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र (**परिशिष्ट-III**) में अवश्य प्रस्तुत **किया** जाना चाहिए.
8. फोटो पहचान पत्र (सरकारी एजेंसी/अंतिम उपस्थित संस्थान/विश्वविद्यालय से जारी).
9. दावा किए गए संपूर्ण अनुभव के लिए मूल वेतन, ग्रेड वेतन (जीपी)/वेतन मैट्रिक्स लेवल और समेकित वेतन का उल्लेख करते हुए रोजगार की अवधि (तिथि, माह और वर्ष) साफ -2 इंगित करते हुए संगठन के प्रमुख से अनापत्ति प्रमाणपत्र और अनुभव प्रमाणपत्र. प्रमाणपत्र में किए गए कार्यों की प्रकृति/पद में प्राप्त अनुभव, अवधि के साथ, का भी उल्लेख किया जाना चाहिए.
10. नेट/स्लेट/गेट अर्हता प्रमाणपत्र, यदि लागू है.
11. ऊपर संदर्भित डिग्री मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रदान की गई होनी चाहिए.
12. आवेदन प्रपत्र में की गई प्रविष्टियों के समर्थन में कोई अन्य संगत दस्तावेज.

टिप्पणी: ऑनलाइन भर्ती आवेदन में वर्णित जन्म तिथि अंतिम है. जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए बाद में किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया गया अथवा अनुमति नहीं होगी.

जांच सूची :

क. क्या ऑनलाइन आवेदन में सभी विवरण सही प्रकार से भरे गए हैं?

ख. क्या फोटोग्राफ अपलोड किया गया है?

ग. क्या लागू आवेदन शुल्क, यदि लागू है, का भुगतान कर दिया गया है?

घ. क्या ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुति के उपरांत पीडीएफ आउटपुट सृजित प्रति का प्रिंट लिया गया है, हस्ताक्षर किए गए हैं और साथ में सभी दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियां संलग्न करते हुए डाक (स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/कोरियर) से नीचे दिए गए पते पर **25 जनवरी, 2021** को अथवा इससे पहले भेज दिया गया है:

उप पंजीयक
स्थापना खंड, प्रभा भवन
मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर
जेएलएन मार्ग, जयपुर, राजस्थान-302017, भारत

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2021, सायं 6.00 बजे तक है और हार्ड प्रति एमएनआईटी जयपुर में प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि 25 जनवरी 2021, सायं 05.30 बजे तक है. संस्थान अंतिम तिथि में विस्तार कर सकता है, अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संस्थान की वेबसाइट नियमित तौर पर देखें.

पंजीयक

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

Government of India, Ministry of Defence

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

Defence Research & Development Organisation

नौसेना विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला

Naval Science & Technological Laboratory

विज्ञान नगर, विशाखापट्टनम-530027

Vigyan Nagar, Visakhapatnam-530027

दूरभाष/Phone : 0891-2586013/2586403

फैक्स/FAX: 0891-2559464

ई-मेल/E-mail : admin.dept@nstl.drdo.in

विज्ञा. सं. एनएसटीएल/जेआरएफ/2020 आवेदन प्राप्ति बंद होने की तिथि : 15.01.2021

कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए साक्षात्कार

रु. 31,000/- की मासिक वृत्तिका + नियमानुसार यथा लागू मकान किराया भत्ते पर दो वर्ष की अवधि के लिए (नियमानुसार विस्तार योग्य) निम्नलिखित कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं.

क्रम सं.	अध्येतावृत्ति की प्रकृति	विषय/ विषयक्षेत्र	अध्येतावृत्तियों की संख्या	शैक्षणिक अर्हता**
1.	कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता (जेआरएफ)	यांत्रिक इंजी.	4	प्रथम श्रेणी में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्नातक डिग्री बीई/बीटेक (मैकेनिक इंजी.) साथ में वैध नेट/गेट स्कोर **अथवा** स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तर पर प्रथम श्रेणी में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर डिग्री एमई/ एमटेक (मैकेनिकल डिग्री)
2.	कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता (जेआरएफ)	इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजी.	3	प्रथम श्रेणी में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्नातक डिग्री बीई/बीटेक (ईईई/ईसीई/ईएंडआई इंजी.) साथ में वैध नेट/गेट स्कोर **अथवा** स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तर पर प्रथम श्रेणी में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर डिग्री एमई/ एमटेक (ईईई/ईसीई/ईएंडआई इंजी.)
3.	कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता (जेआरएफ)	कम्प्यूटर साइंस एवं इंजी.	3	प्रथम श्रेणी में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्नातक डिग्री बीई/बीटेक (कम्प्यूटर साइंस एवं इंजी./सूचना प्रौद्योगिकी) साथ में वैध नेट/गेट स्कोर **अथवा** स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तर पर प्रथम श्रेणी में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर डिग्री एमई/ एमटेक (कम्प्यूटर साइंस एवं इंजी./सूचना प्रौद्योगिकी)

** (i) बीई/बीटेक उम्मीदवारों के लिए वैध नेट/गेट स्कोर अनिवार्य है.

(ii) डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री समान विषयक्षेत्र (शाखा/विषय) में होनी चाहिए.

(i) अध्येतावृत्ति की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है.

(ii) भविष्य की रिक्तियों को पैनल उम्मीदवारों से भरा जा सकता है. पैनल परिणाम के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध रहेगा.

महत्वपूर्ण अनुदेश :-

1. **ऊपरी आयु सीमा :** आवेदन प्राप्ति बंद होने की तिथि को 28 वर्ष. ऊपरी आयु सीमा भारत सरकार के आदेशों के अनुरूप अजा, अजजा और अपिव से संबंधित उम्मीदवारों के लिए शिथिलनीय है.

2. जिनके पास मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अर्जित निर्धारित शैक्षणिक अर्हता है, केवल उन्हें ही साक्षात्कार के लिए आवेदन भेजने की आवश्यकता है. एनएसटीएल के पास यदि सुयोग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो किसी भी उम्मीदवार का चयन नहीं करने का अधिकार सुरक्षित है.

3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संस्थाओं में सेवारत उम्मीदवारों के पास साक्षात्कार के समय संबंधित प्राधिकारियों से अनापत्ति **प्रमाणपत्र** होना चाहिए.

4. यह नोट कर लिया जाए कि अध्येतावृत्ति प्रदान किए जाने से अध्येताओं को डीआरडीओ में आमेलन के लिए कोई अधिकार नहीं हो जाएगा.

5. **आवेदन कैसे करें :** इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र (वेबसाइट: **www.drdo.gov.in** के **'what new'** खण्ड पर उपलब्ध) में आवेदन-पत्र डाउनलोड और भरना चाहिए. विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन साथ में नीचे वर्णित दस्तावेज संलग्न करके डाक से **''निदेशक, एनएसटीएल, विज्ञान नगर, विशाखापत्तनम-530027''** के पास इस कार्यालय में आवेदन प्रस्तुति बंद होने की तिथि को अथवा इससे पहले पहुंच जाना चाहिए. अपूर्ण/आंशिक भरे हुए आवेदन-पत्र को नामंजूर कर दिया जाएगा.

(क) शैक्षणिक अर्हता के समर्थन में अंक शीटों और प्रमाणपत्रों की स्वयं सत्यापित प्रति.

(ख) जन्म तिथि के समर्थन में जन्म प्रमाणपत्र अथवा मैट्रिकुलेशन/10वीं श्रेणी प्रमाणपत्र की स्वयं सत्यापित प्रति

(ग) वैध नेट/गेट स्कोर कार्ड (यदि लागू है) की स्वयं सत्यापित प्रति

(घ) 02 हाल के पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ (एक वर्ष के भीतर लिए गए)

(ङ) निदेशक, एनएसटीएल, विशाखापत्तनम के पक्ष में जारी 10/- रु. का रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर अथवा डिमांड ड्राफ्ट. अजा/अजजा/अपिव से संबंधित उम्मीदवारों को इस भुगतान से छूट है.

6. **आवेदनों की स्क्रीनिंग** विधिवत गठित स्क्रीनिंग कमेटी (विषयक्षेत्र वार) द्वारा संचालित की जाएगी और उम्मीदवारों को उनकी अर्हक डिग्री अर्थात एम टेक अथवा बी टेक और नेट/गेट स्कोर आदि में प्राप्तांक प्रतिशतता के आधार पर 1:4 के अनुपात में साक्षात्कार के लिए लघुसूचीबद्ध किया जाएगा.

7. विशाखापत्तनम में और आस-पास रहने वाले अल्पसूचीबद्ध उम्मीदवारों को एनएसटीएल, विज्ञान नगर, विशाखापत्तनम-530027 में आयोजित भौतिक साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा. बाहरी उम्मीदवारों का साक्षात्कार इंटरनेट पर वेब आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संचालित किया जाएगा. साक्षात्कार के संबंध में आगे सूचना/अनुदेश लघुसूचीबद्ध उम्मीदवारों को केवल ई-मेल के जरिए सूचित किए जाएंगे. उम्मीदवारों द्वारा आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी चयन प्रक्रिया पूरी होने तक सक्रिय बने रहने चाहिए.

बेरोजगारी भत्ते से मिली जीवन को नई दिशा

प्रार्थी का नाम - श्री विकास कुमार अटल

सक्सेस स्टोरी

मैं विकास कुमार अटल पुत्र श्री.रामस्वरूप निवासी मलीकपुर तह. श्रीमाधोपुर सीकर। मैंने बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने हेतु जिला रोजगार कार्यालय सीकर में ऑनलाइन आवेदन किया था जो मेरा दिनांक 20.2.2019 को जिला रोजगार कार्यालय सीकर द्वारा स्वीकृत कर दिया गया था, जिसके उपरान्त मुझे राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह बेरोजगार भत्ता प्राप्त होने लगा जिससे मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की और मेरा दिनांक 01.12.2020 को सीमा सुरक्षा बल में कॉन्स्टेबल पद पर चयन हो गया है।

मैं आज स्वयं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजना के लाभ के कारण आज मैं और मेरा परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम हो गया हूँ।

मैं पुनः राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ बेरोजगार भत्ता मेरी सफलता के लिए बहुत लाभदायी रहा।

प्रार्थी का नाम - श्री लालचन्द वर्मा

सक्सेस स्टोरी

मैं लालचन्द वर्मा पुत्र श्री कैलाश चन्द्र निवासी जुगलपुरा तह. नीम का थाना जिला सीकर। मैंने बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने हेतु जिला रोजगार कार्यालय सीकर में ऑनलाइन आवेदन किया था जो मेरा दिनांक 01.8.2019 को जिला रोजगार कार्यालय सीकर द्वारा स्वीकृत कर दिया गया था, जिसके उपरान्त मुझे राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह बेरोजगार भत्ता प्राप्त होने लगा जिससे मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की और मेरा दिनांक 26.06.2020 को राज्य सेवा में क. सहायक के पद पर चयन हो गया है।

मैं आज स्वयं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजना के लाभ के कारण आज मैं और मेरा परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम हो गया हूँ।

मैं पुनः राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ बेरोजगार भत्ता मेरी सफलता के लिए बहुत लाभदायी रहा।

वार्षिक अभिदाताओं हेतु आवश्यक सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक) के वार्षिक अभिदाता बनने हेतु अथवा वर्तमान में चल रहे अभिदाता जिनका वार्षिक शुल्क समाप्त होने जा रहा है वे रुपए 40/- की राशि का भारतीय पोस्टल आर्डर या डिमान्ड ड्राफ्ट सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश के पक्ष में भेजकर इस पाक्षिक पत्र के वार्षिक सदस्य बन सकते हैं। - संपादक

सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश के प्रकाशित लेखों एवं प्रशिक्षण एक परिचय में प्रयुक्त विषय वस्तु लेखकों / संस्थानों की अपनी है। सम्पादक इन विषय वस्तु एवं इनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं है। - सम्पादक

राजस्थान रोजगार संदेश

मुख्य सम्पादक
महेश शर्मा
निदेशक, रोजगार सेवा निदेशालय
राजस्थान, जयपुर

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक
श्रीमती नवरेखा

सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर,
डाक का पता : सहायक निदेशक प्रकाशन, दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर, पिनकोड- 302001, फोन- 2368398
ई-मेल: adrs.jpr.emp@rajasthan.gov.in

स्वत्वाधिकारी, रोजगार सेवा निदेशालय, राजस्थान सरकार के लिए मुद्रक सहायक निदेशक(प्रकाशन) द्वारा डी.बी. कॉर्प लि. 10, जेएलएन मार्ग, जयपुर, फोन- 0141-3981148 (भास्कर प्रिंटिंग प्रेस, शिवदासपुरा, टोंक रोड, जयपुर) से मुद्रित एवं दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर से प्रकाशित। संपादक- श्रीमती नवरेखा